

एफटीएस सं.-969482/2018-आरटीआई प्रकोष्ठ-डीओआर  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
राजस्व विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक 30<sup>वां</sup> नवंबर, 2018

सेवा में,  
श्री राम प्रकाश त्रिपाठी,  
गाँव-राम नगर,  
पोस्ट ऑफिस-मन्धाना, पी. एस बिठूर  
जिला कानपुर नगर-208002


विषय: श्री राम प्रकाश त्रिपाठी के दिनांक 26.10.2018 के आरटीआई आवेदन के बाबत

महोदय,

मुझे राजस्व विभाग के आरटीआई प्रकोष्ठ द्वारा दिनांक 01.11.2018 को प्राप्त किए गए आपके दिनांक 26.10.2018 के आरटीआई आवेदन का हवाला देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्री के कार्यालय ने यह सूचित किया है कि उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार आपके दिनांक 01.07.2016 और 16.12.2016 के पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए। क्योंकि माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अभिप्राय के अंदर किसी सामग्री रूप में उपलब्ध नहीं है तो इसे अधोहस्ताक्षरी सीपीआईओ की तरफ से 'शून्य' समझी जा सकती है।

2. यदि कोई अपील है तो उसे इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री अरविन्द सरन, उप सचिव (प्रशा.), राजस्व मुख्यालय, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के पास दाखिल किया जा सकता है।

भवदीय,

  
(आर. के. झा.)

सीपीआईओ एवं अवर सचिव,  
भारत सरकार, दूरभाष-23095368

FTS.No.969482/2018- RTI Cell-DOR

Government of India  
Ministry of Finance  
Department of Revenue

\*\*\*\*\*

North Block, New Delhi  
Dated 22 November, 2018

To

Shri Ram Prakash Tripathi,  
Village- Ram Nagar,  
P.O. Mandhana, P.S. Bithoor,  
Dist.- Kanpur Nagar-208002.

**Subject : RTI Application dated 26.10.2018 of Shri Ram Prakash Tripathi-reg.**

Sir,

I am directed to refer to your RTI Application dated 26.10.2018 received by the RTI Cell, Department of Revenue on 01.11.2018 and to say that the O/o Finance Minister has informed that as per the available records your letter dated 01.07.2016 and 16.12.2016 was not received in their office. Since the information sought is not available in any material format within the meaning of Section 2(f) of the RTI Act-2005, it may be treated as 'NIL' on behalf of the undersigned CPIO.

2. Appeal, if any may be filed with the First Appellate Authority, Shri Arvind Saran, Deputy Secretary (Admn), Revenue Headquarters, Ministry of Finance, North Block, New Delhi-110001 within 30 days of receipt of this letter.

Yours faithfully

*R.K.Jha*  
22.11.2018  
(R.K.Jha)

CPIO & Under Secretary to Government of India  
Tel-23095368

*Issued*  
4/12/18